

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./1822/NREGS-MP/स्था./NR-2/09

भोपाल, दिनांक 28/02/2009

प्रति,


1. संभाग आयुक्त (समस्त)
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त)  
मध्यप्रदेश

विषय:- NREGS-MP अंतर्गत कार्यरत संविदा पर पदस्थ समस्त अमले के संविदा पारिश्रमिक के संबंध में ।

सन्दर्भ:-म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. के पत्र क्र. 14865/22/वि-2/स्था./08  
दिनांक 21.10.08

संदर्भित पत्र के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के अंतर्गत संविदा पर पदस्थ अमले को नियुक्ति आदेश से म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर देरी हुई महंगाई भत्ते का भुगतान किया जावे।

यह लाभ संविदा नियुक्ति दिनांक से देय होगा। इस हेतु संविदा शर्तों में प्रावधान कर दिया जावे ।

  
(रशि अरुण शर्मा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
भोपाल

पृ. क्र./1823/NREGS-MP/स्था./NR-2/09

भोपाल, दिनांक 28/02/2009

प्रतिलिपि:-

- 1.संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2.संयुक्त आयुक्त (वित्त) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3.संचालक, एसआईआरडी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4.प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
भोपाल